

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चंडीगढ़ ।

क्रमांक:

विषय:-

डा० बी०आ०अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना में संशोधन करने
बारे ।

दिनांक:

उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 247-स.क.(1)-2017
दिनांक 28.02.2017 के संदर्भ में ।

2. हरियाणा के राज्यपाल महोदय द्वारा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति तथा टपरीवास जाति के लिए कार्यान्वित की जा रही डा० बी०आ०अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली 25000/-रुपये की राशि को बढ़ा कर 50,000/-रुपये करने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई है कि वर्ष 2018-19 में उपलब्ध बजट से अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जाएगी ।
3. स्कीम की अन्य टर्मज एण्ड कन्डीशनज यथावत रहेंगी ।
4. यह स्वीकृति वित विभाग के अशा: क० ०२ / ०६ / २०१६-५ एफ०जी०-ा/
5341 दिनांक 03.07.2018 द्वारा दी गई मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है ।

- 5 -

अधीक्षक,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

पृ०क० १०३४-५८०-(१) २०१८

दिनांक: १०-७-२०१८

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चंडीगढ़ ।
2. महालेखाकार (आडिट), हरियाणा, चंडीगढ़ ।
3. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में ।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चंडीगढ़ ।

.....जारी.....

5. उपनिदेशक (स्कीम), अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
6. अनुसंधान अधिकारी, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
- ✓ सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।

Raghbir Singh^b

अधीक्षक,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चण्डीगढ़ । *PL*

एक प्रति प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा क्र0
02/06/2016-5 एफ0जी0-ग/5341 दिनांक 03.07.2018के संदर्भ में प्रेषित है ।

Sel -
अधीक्षक

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चण्डीगढ़ ।

सेवा में

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

अशा: क्र0:

दिनांक: